

न्यायालय नीलाम पत्र पदाधिकारी, जरीडीह जिला - बोकारो।

नीलाम पत्र मुकदमा सं० - 30/22-23

केक रॉकि इण्डिया, जेनरल बनान

सर्टिफिकेट होल्डर

श्री फहलारी महेंद्र प्रिय (ए. कुंवर महेंद्र)
अनुसूची - 14 फारम सं० - 563

सर्टिफिकेट डेब्टर

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
07-02-23	प्रबंधक सह अधियानी पदाधिकारी, केक रॉकि इण्डिया - जेनरल के द्वारा देनदार श्री फहलारी महेंद्र प्रिय (ए. कुंवर महेंद्र) को जिला बोकारो के विरुद्ध बकाया राशि 24177 = रुपये वसूली हेतु पी0डी0आर0 एक्ट के तहत प्रपत्र 2 में अधियाचना पत्र दाखिल किया है। साथ ही कार्ट फी 2568 = रुपया दाखिल किया है। जिसकी विवरणी निम्न है 21609 + 2568 = 24177 = अधियाचना पत्र परिपूर्ण है। बकाया राशि देनदार से वसूली योग्य है। अतः देनदार को धारा 7 पी0डी0आर0 एक्ट के अधीन विधीवत सूचना निर्गत करे। अभिलेख दिनांक 21/02/23 को उपस्थापित करे। नीलाम पत्र पदाधिकारी, जरीडीह।	अभिलेख संलग्न (1) फॉर्म - 1 (2) फॉर्म - 11 (3) चेक सिस्टम (4) कोर्ट एफिडेविट
21/02/23	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित/ मुकदमा की अगली तिथि 15/03/23 निर्धारित की जाती है। नीलाम पत्र पदाधिकारी, जरीडीह।	

14-3-2023

अभिलेख उपलब्धित ।

देगदार अनुपस्थित, पुनः गोपनीय निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक 22/03/23 को उपलब्धित करें।

निताम पर परामर्शकारी
जरीडीए

22/03/23

अभिलेख उपलब्धित ।

कार्यालय कार्यों में व्यवस्था रहने के कारण नौसि
निर्गत नहीं किया जा सका। पुनः गोपनीय निर्गत करने हुए
आधिकार दिनांक 31/03/23 को उपलब्धित करें।

निताम पर परामर्शकारी
जरीडीए

26/08/24

अभिलेख उपलब्धित ।

आरवा प्रकेषण B.O.I जेनकोड ने लिखित रूप में सूचित
किए गए हैं कि पूर्ण वसूल होकर क्लर खाता बन्द हो
चुकी है। Certified holder के प्रतिकेक के आधार पर
Certificat case समाप्त की जाती है।

निताम पर परामर्शकारी
जरीडीए